

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 230]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 मई 2021-वैशाख 31, शक 1943

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 मई 2021

क्रमांक एफ 10-04-2021-सत्रह-मेडि-2.-ऐपेडेमिक डिजिसेस एक्ट, 1897 की धारा 2 सहपठित मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट, 1949 की धारा 50, 51 एवं धारा 71(1) (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, म्युकरमाईकोसिस (Mucormycosis) को संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य के लिए अधिसूचित संक्रामक रोग (Notified Infectious Disease) घोषित करते हुए ऐपेडेमिक डिजिसेस एक्ट, 1897 एवं पब्लिक हेल्थ एक्ट, 1949 में उपबंधित समस्त अधिकार, समस्त जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन-सह-मुख्य अस्पताल अधीक्षक को जिला स्तर पर तथा समस्त अनुविभागीय अधिकारियों (Sub Divisional Magistrate) तथा खण्ड चिकित्सा अधिकारियों को ब्लॉक स्तर पर प्रदत्त करती है.

2. उपरोक्त अधिसूचना तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आकाश त्रिपाठी, सचिव.